

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- अविचल चतुर्वेदी  
आई0ए0एस0



राजस्व अपील सं0 116/2019

1. बाबूलाल, रामोतार पि0 लादू जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा राज0।

..अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल।

...रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 15.1.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बाबूलाल आदि मु0नं0 480/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित: 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट  
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 26.8.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनांक 15.1.2019 को ग्राम कुण्डल तहसील दौसा के आ0ख0 1046 रकबा 0.05 है0 किस्म चरागाह पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्स को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये एवं बिना मौके की जांच किये इकतरफा में निर्णय पारित किया है। कानूनन अपीलांट को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए पीछे से इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी पत्रावली में साबित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील प्रति पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट्स को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अपीलांट्स स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट्स द्वारा वरवक्त न्यायालय में उपस्थित होकर खसरा नंबर 1046 चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। इसलिए अपीलांट्स के शपथ-पत्रों को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.1.2019 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्रों में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 26 अगस्त 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

